

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9932/2021 राजविन्द्र कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकाथिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकाथिया वर्तमान में राउप्रावि गज सिंह का गांव, झूहानियाली, ब्लॉक-सम, जिला-जैसलमेर में वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर कार्यरत है। याचिकाथिया के कथनानुसार याचिकाथिया का वर्ग एस सी विधवा वर्ग है, याचिकाथिया का गृह जिला श्रीगंगानगर है। दूरस्थ कार्यरत होने के कारण याचिकाथिया को अपनी सेवा देने में कई परेशानियां हो रही हैं। अतः याचिकाथिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर जैसलमेर जिले (जोधपुर मण्डल) से श्रीगंगानगर जिले (बीकानेर मण्डल) के विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में स्थानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक को पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार के पत्रांक प.17(30) शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 14.08.2021 में स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के विन्दु संख्या-01 में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि "सीधी भर्ती से पदस्थापित परिवीक्षाधीन अध्यापक का स्थानान्तरण नहीं किया जावे।" याचिकाथिया द्वारा अभ्यावेदन में अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्क संगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है, परन्तु याचिकाथिया द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर अंतर मण्डल स्थानान्तरण हेतु पात्र होने पर तत्समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। उक्तानुसार इस मांग के संबंध में याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।



(काना राम)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 24/01/22

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/13232/2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
6. याचिकाथिया राजविन्द्र कौर, व.अ. (सामाजिक विज्ञान), राउमावि गज सिंह का गांव, झूहानियाली, ब्लॉक-सम, जिला-जैसलमेर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)